**URGENT**

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांकःएफ.28( )पराविं / प्रशा.2 / पंचायत प्र.अ. / वरिष्ठता सूची / 2018 / 3588 जयपुर,दिनांकः 7.8.18

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
जिला परिषद – समस्त । (जिला परिषद बांसवाडा, बारां, बून्दी, चुरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली, राजसमंद, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर को छोड़कर)

**विषय :– पंचायत प्रसार अधिकारियों की T.S.P./ Non T.S.P. की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय आदेश कमांक 2293 दिनांक 22.05.2018 स्मरण पत्र कमांक 2618 दिनांक 12.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश द्वारा पंचायत प्रसार अधिकारियों की T.S.P./ Non T.S.P. की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी करते हुए 15 दिवस में आदेश में वर्णित कार्यवाही कर, संलग्न प्रपत्र–। में सूचना चाही गई थी। परन्तु आपके जिलो की सूचना अप्राप्त होने के कारण T.S.P./ Non T.S.P. की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है और इसके अभाव में इनकी पदौन्नति के संबंध में नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

अतः इस संबंध में वांछित सूचना दिनांक 13.08.2018 तक भिजवाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा आपके जिले के पंचायत प्रसार अधिकारियों को आदेश कमांक 2293 दिनांक 22.05.2018 में वर्णितानुसार T.S.P./ Non T.S.P. में मानते हुए स्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर दी जायेगी। इससे होने वाली किसी भी प्रकार की आपत्ति के लिये आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।

(कुंजी लाल मीणा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, एवं विकास अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार वांछित सूचना संबंधित जिला परिषद को तत्काल भिजवाये ताकि जिला परिषदों द्वारा इकजाई सूचना नियत समय में भिजवाई जा सकें।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर लेख है कि नियमानुसार स्नातक या समकक्ष योग्यताधारी ही सहायक सचिव के पद हेतु योग्य होने के कारण, योग्यताधारी पंचायत प्रसार अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार आवश्यक पूर्ति कर तत्काल पंचायती राज विभाग के गोपनीय प्रकोष्ठ को भिजवाना सुनिश्चित करावें।
3. प्रभारी, गोपनीय प्रकोष्ठ, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पंचायत प्रसार अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार आवश्यक पूर्तियॉ करवाकर सुरक्षित रखें। ताकि पदौन्नति के समय रिपोर्ट ली जा सकें।
4. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव एवं उपायुक्त

D:\SSR\Ext.Officers\PNO Seniority List\Letter.S.List.doc